# न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, पाली संभाग, पाली
## पीठासीन अधिकारी :—श्री हरफूलसिह यादव,आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :—64/2024
जी.सी.एम.एस नंबर :— 2024/64

| अपीलाण्ट :— | बनाम | रेस्पोडेन्ट :— |
|---|---|---|
| 01. सुखराम पुत्र श्री गंगाराम<br>02.रतनाराम पुत्र श्री मंगलाराम<br>03. तुलछा पुत्र श्री मंगलाराम<br>सभी जाति बिश्नोई निवासी कलजी की बेरी, तहसील चितलवाना, जिला जालोर। | | राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार चितलवाना, जिला जालोर। |

न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त पाली (राज.)

**अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध आदेश दिनांक 28—07—2016 जो राजस्व अपील संख्या 58/2015 अनवान सुखराम वगैरा बनाम सरकार में जिला कलक्टर जालोर द्वारा पारित किया गया, जिसके द्वारा नामान्तरणकरण संख्या 84 दिनांक 06.07.2007 ग्राम कलजी की बेरी को यथावत रखे जाने का आदेश. दिया।**

उपस्थिति :—
1. श्री लाधूराम पूनिया, विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट।

:: निर्णय ::

दिनांकः— 24.12.2024

1. न्यायालय जिला कलक्टर जालोरद्वारा पारितआदेश दिनांक 28—07—2016 जो राजस्व अपील संख्या 58/2015 अनवान सुखराम वगैरा बनाम सरकारमें नामान्तरणकरणसंख्या 84 दिनांक 06.07.2007 ग्राम कलजी की बेरी को यथावत रखे जाने का आदेश. दिया से व्यथित होकर अपीलाण्ट ने द्वितीय अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई।

2. यहअपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट्स को जरिये नोटिस से तलब किया गया।

3. बहस वकील अपीलाण्टसुनी गई।

4. विद्वान अधिवक्ता वकील अपीलाण्ट ने बहस के दौरान अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि विद्वान न्यायालय द्वारा

24.12.2024
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो विधि के विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

5. अपीलाण्टके अधिवक्ता ने अभिकथन कर निवेदन किया कि –

विद्वान जिला कलेक्टर जालोर द्वारा अपीलार्थीगण की अपील को अस्वीकार करने में भारी विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि की गई है।

अपीलाधीन नामांतकरण आदेश अपीलार्थीगण की गेर हाजिरी में व अपीलार्थीगण को सुनवाई व सूचना का अवसर दिये बिना पारित किया गया है, जिसके विरूद्ध म्याद जानकारी से ही लागू होती है तथा जानकारी से अपीलार्थीगण की अपील अन्दर म्याद प्रस्तुत की गई है। विद्वान जिला कलेक्टर जालोर ने इस कारण की अनदेखी कर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने के योग्य है।

अपीलाधीन नामांतकरण के साथ ऑवटन आदेश नहीं होने की कमी बताकर आदेश दिनांक 06–07–2007 पारित किया है, उक्त कमीपूर्ति करने के लिये किसी प्रकार की कोई म्याद नही है तथा उक्त कमी को पूरीत करवाने के लिये अपीलीय न्यायालय के लिये भी विधि मे कोई म्याद नही है। इस प्रकार विद्वान जिला कलेक्टर जालोर द्वारा म्याद पर दिया गया निर्णय दोषपूर्ण है एवं निरस्त किये जाने के योग्य है।

विद्वान जिला कलेक्टर जालोर के लिये अपील पर म्याद का आदेश देने से पूर्व अपील के गुणदोष पर निर्णय किया जाना आवश्यक था तथा अपील गुणहिन होने पर ही म्यादबाहर का आदेश दिया जा सकता था, इस प्रकार अपीलाधीन आदेश माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय उच्च् न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांतो के विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने के योग्य है।

विद्वान उपतहसीलदार चितलवाना ने अपीलार्थीगण के विरुद्ध आदेश पारित करने से पूर्व उनको सुनवाई व सूचना का कोई अवसर प्रदान नही किया। जिस कारण उपतहसीलदार चितलवाना को अपीलााधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के मान्य सिद्धांतो के खिलाफ होने से शुन्य है तथा स्वतः ही निरस्त योग्य रहता है। जिसको निरस्त करने के लिये अपीलीय न्यायालय के लिये कोई म्याद नही है। विद्वान जिला कलेक्टर जालोर ने इस कारण की ओर भी ध्यान दिये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो निरस्त किये जाने के योग्य है।

अपीलाधीन नामांतकरण के कालम संख्या 16 में भूमि आंवटन आदेश तथा जिला कलक्टर जालोर के आदेश निर्णय का समस्त विवरण प्रस्तुत किया गया है तथा प्रिमीयम एवं सनद फीस जमा होने का विवरण दिया हुआ है, जिसको पटवारी हल्का ने समस्त दस्तावेज प्राप्त करने के आधार पर दिया है. जब प्रिमीयम एवं सनद शुल्क जमा होने की रिपोर्ट के बाद उपतहसीलदार के लिये नामांतकरण स्वीकृत करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नही था. इस प्रकार अपीलाधीन नामांतरकरण आदेश विधि विरुद्ध होने से निरस्त किये जाने के योग्य है तथा अपीलार्थीगण के पक्ष में नामांतरकरण स्वीकार किये जाने के योग्य हैं।

विद्वान उपतहसीलदार ने पहले नामांकरण स्वीकार करने का आदेश पारित किया, इसके बाद उक्त आदेश को रिव्यू किये बिना ही नया आदेश

न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त पाली (राज.)

24/12/2024

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

पारित कर दिया जो विधि विरूद्ध होने से निरस्त कये जाने के योग्य है तथा पूर्व आदेश बहाल किये जाने के योग्य है।

ग्राम कलजी की बेरी नवसृजित ग्राम रामदेवनगर के पुराने ख0न० 59 जिसके नये ख0न0 97, 98, 99, 100 125 सृजित किये गये है। उक्त ख०न० की भूमि सिलिंग प्रकरण संख्या 77/ 74 अधिग्रहण की गई तथा इसके बाद सलाहकार समिति के माध्यम से आवंटन की कार्यवाही करवायी गई। जिसके तहत भूमि आंवटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 04.06. 1976 को पुराने ख0न0 59 में से अपीलार्थी संख्या 1 व 2 को 16 16 बीघा भूमि तथ अपीलार्थी संख्या 3 को 13 बीघा 19 बिस्या भूमि आवंटित किये जाने का आदेश दिया तथा शेष रकबा 10 अन्य व्यक्तियों को आवंटित किये गये। जिसमें से अपीलार्थी संख्या 1 की प्रिमीयम राशि जमा नही होने पर अतिरिक्त जिला कलक्टर (सिलिंग) जालोर ने आदेश दिनांक 19.08.1992 के द्वारा आवंटन निरस्त कर दिया। जिसके विरूद्ध अपीलार्थी संख्या 1 ने एक अपील माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर मे प्रस्तुत की। जो अपील निर्णय दिनांक 16.01.1997 के द्वारा स्वीकार की गई तथा अपीलार्थी से प्रिमीयम राशि जमा करने तथा आवंटन करने का आदेश दिया। इसके वाद अपीलार्थी ने समर प्रिमीयम राशि जमा करवा दी तथा सभी अपीलार्थीगण की प्रिमीयम राशि जमा होने पर उनके नाम से नामांतकरण किये जाने का आदेश दिया गया। जिस पर पटवारी हल्का ने नामांतकरण संख्या 84 दिनांक 24.05.2003 को खोला. जिसकी जांच भू अभिलेख निरीक्षक सुराचंद ने की तथा मौके पर आवंटियो का भूमि पर कब्जा होना बताया। उक्त नामांतकरण को पटवारी हल्का ने उपतहसीलदार चितलवाना के समक्ष दिनांक 24.09.2003 को पेश किया, तो पटवारी को आदेश के साथ पेश करने का आदेश दिया, इसके बाद नामांतकरण को दिनांक 06–07–2007 को फिर से पेश किया, जिस पर उपतहसीलदार चितलवाना ने पहले तो नामांतकरण स्वीकृत लिखा तथा उसके बाद आवंटन आदेश पेश नही होना बताकर आधार पर अस्वीकृत (खारीज) किये जाने का आदेश दे दिया।

उपतहसीलदार चितलवाना अपीलाधीन नामांतरकरण आदेश पारित करने से पूर्व सुनवाई व सूचना का तथा आवंटन आदेश प्रस्तुत करने का कोई आदेश नही दिया तथा नामांतरकरण पर अपीलार्थीगण की गैर हाजिरी मे आदेश पारित कर दिया, जिसकी जानकारी होने पर अपीलार्थीगण ने एक अपील विद्वान जिला कलक्टर जालोर के समक्ष प्रस्तुत की, विद्वान जिला कलक्टर जालोर ने अपीलार्थीगण की प्रथम अपील पर गुणावगुण पर कोई निर्णय नही दिया तथा अपने आदेश दिनांक 29.07.2016 के द्वारा अपीलार्थी की अपील म्याद बाहर मानकर अस्वीकार किये जाने का आदेश दे दिया।

अतःअपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलार्थीगण स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिंनाक 29.07.2016 एवं उपतहसीलदार चितलवाना के आदेश दिनांक 06–07–2007 को निरस्त किये जाने का आदेश फरमावे तथा नामांतकरण संख्या 84 अपीलार्थीगण के पक्ष में स्वीकार किये जाने का आदेश फरमावें। अन्य उचित आदेश जो मान्यवर न्यायालय न्यायहित में पारित किया जाना आवश्यक समझे तथा जो अपीलार्थीगण के पक्ष में हो सादर फरमाया जावे।

6. प्रकरण में अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई।वकील अपीलाण्ट का कथन है कि अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए प्रस्तुत किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौके पर आवंटियों का कब्जा

न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त पाली (राज.)

24/12/2024
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

होने के बावजूद उक्त नामान्तरकरण भरकर गलत आधारो पर अस्वीकृत किया गया है। जिसमे किया गया आदेश विधि विरूद्ध एवं न्यायोचित नहीं है। उप तहसीलदार चिलवाना द्वारा अपीलार्थीगण से आवंटन आदेश की नकल मांगी थी जो अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत कर दी थी। बैठक कार्यवाही रजिस्टर की नकल भू अभिलेख शाखा जालोर एवं भीनमाल से भी मांगी थी परन्तु उक्त नकल मांगने के बावजूद नहीं मिली थी, जिस कारण उक्त नकल अपीलार्थीगण पेश नही कर सका था। जिस कारण उक्त नामान्तरकरण गलत तरीके से खारिज किया गया था। मौके पर अपीलार्थीगण 40 वर्षो से उक्त भूमि पर कब्जा है। मौके पर मेरा खुरा हुआ ढाणी बनी हुई है। उप तहसीलदार चितलवाना को उक्त भूमि बाबत जांच करनी थी परन्तु अपीलार्थीगण के बारे में ऐसी जांच न कर गलत तरीके से नामान्तरकरण अस्वीकृत किया गया है जो गलत है। अपीलार्थीगण द्वारा दिनांक 09.11.2015 को सूचना के अधिकार के तहत बैठक कार्यवाही रजिस्टर की नकल मांगी गई जो नकल 20.11.2015 को प्राप्त हुई है एवं नामान्तरकरण संख्या 84 की नकल 09.11.2015 को मांगी जो 18.11.2015 को प्राप्त हुई। नकल मांगने पर नामान्तरकरण अस्वीकृत की जानकारी हुई है। अपीलार्थीगण द्वारा सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई बैठक कार्यवाही रजिस्टर व आवंटन आदेश की पकार अपील के साथ प्रस्तुत की गई है । अतः अपीलार्थीगण की अपील अन्दर म्याद शुमार की जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 84 दिनांक 06.07.2007 जो अस्वीकृत किया है, को स्वीकृत किये जाने का आदेश करावे।

7. पत्रावली का अवलोकन किया तथा अपीलाण्ट के विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया। तदानुसार इस न्यायालय का अभिमत है कि अधिनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर, जालोर द्वारा दिये निर्णय में यह कथन किया कि प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांटस ने अपील के संलग्न धारा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 09.11.2015 को सूचना के अधिकार के तक बैठक कार्यवाही रजिस्टर की नकल मांगी जो नकल दिनांक 20.11.2015 को प्राप्त हुई एवं नामान्तरकरण 84 की नकल दिनांक 09.11.2015 को मांगी, जो 18.11.2015 को प्राप्त हुई। अपीलाधीन नामान्तरकरण दिनांक 06.07.2007 को अस्वीकृत किया गया था। दिनांक 06.07.2007 से 09.11.2015 तक की अवधि तक अपीलॉटस को अपीलाधीन नामान्तरकरण का ज्ञान नहीं होने के संबंध में कोई मुक्ति युक्त कारण व्यक्त नहीं किया गया है। म्याद के प्रश्न पर दिन प्रतिदिन का देरीना का युक्ति युक्त एवं संतोषजनक एवं स्वीकृत रूप से मानने योग्य ठोस कारण व्यक्त करने चाहिये। ऐसे कारणों के अभाव में धारा 5 लिमीटेशन एक्ट के प्रावधानों के अर्न्तगत ऐसी लम्बी देरी को क्षमा कन्डोन नहीं किया जा सकता है। अतः अपीलांटस की अपील अन्दर म्याद शुमार किया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारीज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर जालोर के अपील संख्या 25/2015 निर्णय दिनांक 27.09.2016, बअनवान सुखराम वगैरा बनाम तहसीलदार चितलवाना तत्समय उप तहसीलदार,चितलवाना के निर्णय को यथावत रखा जाता है। एवं कि म्युटेशन संख्या 84 को विधिवत रूप से खारीज किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड इस

24.12.2024
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

निर्णय की प्रति के साथ माफिक निर्णय पालना करने हेतु पुनः लौटाया जावे। पत्रावली दर्ज फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

24.12.2024
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त पाली (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 24.12.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे–इजलास सुनाया गया।

24.12.2024
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)